प्रेषक,

मदन मोहन,

विशेष सचिव

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 07 अगस्त, 2024

विषय:- केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी जगदीश सिंह पुत्र श्री ठाकुर प्रसाद सिंह, निवासी जनपद-गोण्डा की फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक(मु0) कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-5998/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/आ0प्रस्त0/2023 दिनांक-23.02.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी जगदीश सिंह पुत्र श्री ठाकुर प्रसाद सिंह, बैशनपुरवा, मौजा-बरौली थाना-उमरीबेगमगंज, जनपद-गोण्डा का निवासी है। दहेज की मांग पूरी न करने को लेकर दिनांक 10/11-07-1995 को बन्दी ने अपनी पत्नी श्रीमती चन्द्रवती देवी की जलाकर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-97/1996 में भा0द0वि0 की धारा-498ए, 304बी के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश/द्रुतगामी न्यायालय कक्ष सं0-1, गोण्डा के आदेश दिनांक 25-01-2008 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, द्वारा दिनांक 10.10.2021 तक 14 वर्ष, 06 माह, 22 दिन की अपरिहार सजा तथा 18 वर्ष, 11 माह, 08 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

3- जिला मजिस्ट्रेट द्वारा विवाद अन्तिम रूप से समाप्त नहीं होने, बन्दी के रिहा होने पर शान्ति व्यवस्था भंग होने की सम्भावना को दृष्टिगत रखते हुये समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की गयी है। पुलिस अधीक्षक एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुये समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि दहेज की मांग पूरी न करने को लेकर दिनांक 10/11-07-1995 को बन्दी ने अपनी पत्नी श्रीमती चन्द्रवती देवी की जलाकर हत्या करने का जघन्य अपराध किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत सन्देश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने का अंकन जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी जगदीश सिंह पुत्र श्री ठाकुर प्रसाद सिंह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5- इस सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी जगदीश सिंह (बन्दी संख्या-789/2010) पुत्र श्री ठाकुर प्रसाद सिंह, निवासी जनपद-गोण्डा के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

मदन मोहन

विशेष सचिव।

संख्या-78/2024/511(1)/22-2-2023 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, गोण्डा।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी ।

3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ममता श्रीवास्तव

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-78/2024/511/22-2-2023-17(1314)/2022

दिनांक 07 अगस्त, 2024 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी जगदीश सिंह पुत्र श्री ठाकुर प्रसाद सिंह, बैशनपुरवा, मौजा-बरौली थाना-उमरीबेगमगंज, जनपद-गोण्डा का निवासी है। दहेज की मांग पूरी न करने को लेकर दिनांक 10/11-07-1995 को बन्दी ने अपनी पत्नी श्रीमती चन्द्रवती देवी की जलाकर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-97/1996 में भा0द0वि0 की धारा-498ए, 304बी के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश/द्रुतगामी न्यायालय कक्ष सं0-1, गोण्डा के आदेश दिनांक 25-01-2008 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, द्वारा दिनांक 10.10.2021 तक 14 वर्ष, 06 माह, 22 दिन की अपरिहार सजा तथा 18 वर्ष, 11 माह, 08 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

जिला मजिस्ट्रेट द्वारा विवाद अन्तिम रूप से समाप्त नहीं होने, बन्दी के रिहा होने पर शान्ति व्यवस्था भंग होने की सम्भावना को दृष्टिगत रखते हुये समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की गयी है। पुलिस अधीक्षक एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुये समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि दहेज की मांग पुरी न करने को लेकर दिनांक 10/11-07-1995 को बन्दी ने अपनी पत्नी श्रीमती चन्द्रवती देवी की जलाकर हत्या करने का जघन्य अपराध किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत सन्देश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने का अंकन जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी जगदीश सिंह पुत्र श्री ठाकुर प्रसाद सिंह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त बन्दी को फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है।

मदन मोहन
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in